न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 02 / 2019 दायर दिनांक 17.01.2019

उनवान

1. अब्दुल वहीद पुत्र तैयब हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. अब्दुल सतार पिता मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. जिकरिया पिता मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—प्रार्थीगण।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

—अप्रार्थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 17.08.2022

–:निर्णयः–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के हल्के बैरूनी में साबिक आ0 सं0 3487 रकबा 16 बिस्वा जमाबन्दी सं0 2016 अनुसार हम प्रार्थीगण के तीन भाईयों के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से है जिसमें न0 एक मोहम्मद (फोत) जिससे हम प्रार्थीगण सं0 दो व तीन है जिनके 1/3 हिस्सा बनता है व एक भाई वहीद जो मैं प्रार्थी हूं। जिसका 1/3 हिस्सा बनता है तथा उस्मान जिसका भी 1/3 हिस्सा बनता है यानि तीनों भाईयों के 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:37 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मृतक मोहम्मद हुसैन जो कि प्रार्थीगण के पिता है व प्रार्थी सं0 एक अब्दुल वहीद ने दोनो ने मिलकर तीसरे भाई उस्मान जिसका तीसरा हिस्सा था दोनो भाईयों प्रार्थीगण ने मिलकर दिनांक 12.08.1975 को उसकी समस्त आराजियात खरीद ली जिसमें अब मृतक मोहम्मद हुसैन के हम प्रार्थीगण संख्या वारिस दो व तीन 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए तथा इसी अनुसार अब्दुल वहीद के भी 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए।

यह कि विपक्षी ने उपरोक्त अनुसार दर्ज नही कर हाल आराजी नं0 2781 रकबा 0.18 है0 प्रार्थी सं0 एक के नाम 1/6 दर्ज कर दी जो जमाबन्दी में 1 नम्बर पर है। तथा मोहम्मद वहीद पुत्र तैयब हुसैन के नाम 2/3 दर्ज कर दी जो जमाबन्दी में 2 नम्बर पर है तथा इसी के आगे मोहम्मद हुसैन पुत्र तैयब हुसैन 1/6 दर्ज रिकार्ड कर दी जो जमाबन्दी में 3 नम्बर पर है जो गलत है जमाबन्दी हाल अनुसार नम्बर एक में अब्दुल वहीद पुत्र तैयब हुसैन के 1/2 दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए तथा हाल जमाबन्दी में दर्ज तीन में मोहम्मद हुसैन पुत्र तैयब हुसैन के जो 1/6 दर्ज है उसके स्थान पर 1/2 दर्ज होनी चाहिए व हाल जमाबन्दी की कॉलम संख्या 2 में दर्ज मोहम्मद वहीद पुत्र तैयब हुसैन का नाम हाल जमाबन्दी रिकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है।

यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र हाल एवं साबिक जमाबन्दी दिनांक 01.08.2018 को लेने से जानकारी में आने से उक्त दिनांक से बिनाय पैदा हो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित अनुसार हाल जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया। तहसीलदार कपासन पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल रूप से संलग्न जमाबन्दी 2016–19 के खाता संख्या 1201 व गत आराजी संख्या 3487 रकबा 16 बिस्वा में मोहम्मद उसमान वहीद (तीन) पिता तैयब के नाम दर्ज थी। आधार वर्ष जमाबन्दी अनुसार नामान्तरण विक्रय से श्री मोहम्मद वहीद पिता तैयब 2/3 मो. हुसैन अब्दुल वहीद पिता तैयब 1/3 मुसलमान दर्ज हुआ है। गत आराजी नम्बर 3487 रकबा 16 बिस्वा से संलग्न मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन आराजी 2781 रकबा 0.18 है0 बने है। संलग्न विक्रय पत्र रजिस्टर्ड अनुसार विक्रेता उसमान पिता तैयब द्वारा श्री मोहम्मद हुसैन व अब्दुल वहीद पिता तैयब को विक्रय कर दी है। नामान्तरण संख्या 416 दायर हुआ है। नामान्तरण संख्या 416 का अमल जमाबन्दी 2052 में मोहम्मद व वहीद पिता तयब 2/3 व मोहम्मद हुसैन अब्दुल वहीद पिता तयब 1/3 अंकन हुआ है। जबकी नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 30.03.1998 अनुसार मोहम्मद हुसैन, अब्दुल वहीद द्वारा उसमान से खरीद शुदा आराजीयात का इन्तकाल सही खुला है। परन्तु शेष में मोहम्मद वहीद पिता तैयब 2/3 को व[illegible]बन्दी 2074–78 के खाता संख्या 1257 में 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया है। नामान्तरण संख्या 416 अनुसार उसमान द्वारा श्री मोहम्मद हुसैन व अब्दुल वहीद को अपना हिस्सा विक्रय किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः चालु जमाबन्दी में संशोधित हिस्सा श्री अब्दुल वहीद पुत्र तैयब 1/2 व मोहम्मद हुसैन पुत्र तैयब 1/2 जाति मुसलमान संशोधन एल0आर0एक्ट0 1956 की

धारा 136 के तहत् संशोधित किया जाना उचित है। मोहम्मद हुसैन की मृत्यु होने से प्रकरण सत्तार पिता मोहम्मद 1/4 व जिकरिया पिता मोहम्मद हुसैन 1/4 व अब्दुल वहीद पिता तैयब हुसैन 1/2 मुसलमान दर्ज किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। की गयी बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी ने साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2074–77, मिलान शीट, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019 जिसके आराजी संख्या 1201 जिसमें मोहम्मद, उसमान, वहीद पिता तयब मुसलमान दर्ज रिकार्ड है। उसमान द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से को विक्रय करने से मोहम्मद हुसैन व अब्दुल वहीद पिता तैयब 1/3 जरिये नामान्तरण 416 दिनांक 30.03.1998 की जमाबन्दी में अंकन की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की। उक्त जमाबन्दी में मोहम्मद व वहीद पिता तेयब 2/3 दर्ज रिकार्ड था। वर्तमान में मोहम्मद व वहीद को एक साथ मोहम्मद वहीद हाल जमाबन्दी में सहवन से अंकन हो गया है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 1257 की आराजी संख्या 2781 कुल किता 1 कुल रकबा 0.18 है0 में दर्ज अब्दुल वहीद पुत्र तैयब 1/6, मोहम्मद वहीद पुत्र तैयब 2/3, मोहम्मद हुसैन पुत्र तैयब 1/6 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार के बजाय अब्दुल वहीद पुत्र तैयब 1/2, अब्दुल सतार पिता मोहम्मद हुसैन 1/4, जिकरिया पिता मोहम्मद हुसैन 1/4 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि रहन हो तो बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official